ग्राम पंचायत संघोल, विकास खण्ड लम्बागाँव जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176091 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत संघोल, विकास खण्ड लम्बागांव, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधान:–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री रजनीश प्रकाश	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री प्रदीप कुमार	01.04.2022 से 17.07.2022
2	श्री ध्यान सिंह	18.07.2022 से 27.02.2024
3	श्रीमती शालिनी	28.02.2024 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती चन्द्रकांता	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री रोहित कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत संघोल के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	0.70
2	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	5.32
3	7.1	सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.65
4	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.02
5	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना	0.98
6	8.2	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	9.39
7	8.3	खनन सामग्री बिलो के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान करना	4.70
8	9.1	पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु अनियमित भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएं	1.37
9	9.2	माप–पुस्तिका में गलत गणना के फलस्वरूप मजदूरी भुगतान हेतु अधिक भुगतान करना	0.16
10	10	निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	1.91

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत संघोल के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20.11.2024 से 23.11.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत की गई ऑनलाईन रोकड़ बहियों के आधार पर किया गया। आय–व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:–

वर्ष	आय	व्यय
2022—23	06 / 2022	05 / 2022
2023—24	08 / 2023	06 / 2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹3200/— आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का.—/2024/572 दिनांक—23.11.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः— राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2024/559 दिनांकः—20.11.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में दिया गया हैः—

1.स्व—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	219786.00	1628118.88	1847904.88	387829.00	1460075.88
2023-24	1460075.88	422840.00	1882915.88	161598.00	1721317.88

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1281224.88	2099335.87	3380560.75	2299795.75	1080765.00
2023-24	1080765.00	2537331.00	3618096.00	3085800.00	532296.00

कुल योग (1+2) 1721317.88+532296.00 **=2253613.88**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः–

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की ऑनलाईन रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष ₹22,53,613.88 तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि **"परिशिष्ट–3"** के अनुसार अन्तशेष ₹21,83,863.63/–से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र0 सं0	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वः स्त्रोत/5वां वित/वी.के.वी.एन.वाई/एस.डी.पी	का•के•सह•बैंक जयसिंहपुर	20086023949	799289.88
2	स्वः स्त्रोत/वी.के.वी.एन.वाई/एस.डी.पी	एच•पी•जी•बैंक सघोल	87960100042363	1033899
3	तीसरा	का•के•सह•बैंक जयसिंहपुर	50056010206	0
4	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक जयसिंहपुर	50056010217	0
5	14वॉं वित्त	का•के•सह•बैंक जयसिंहपुर	50056010182	0
6	15वॉं वित्त/पी.एस/जेड.पी	यूको•बैंक लम्बागांव	10680110036020	350674.75
	हस्तगत शेष (ऑनलाईन रोकड़ बही के अनुसार)			0
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योगः–				₹21,83,863.63
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :–				

रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः—	₹22,53,613.88
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः—	₹21,83,863.63
अन्तरः—	69750.25

नोटः— अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

4 (ग) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंकेक्षण में राशि ₹0.70 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत संघोल द्वारा हि• प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹69750.25/- का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है, जो पंचायत की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाता है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/561 दिनांकः—22.11.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—08 दिनांकः—23.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर नियमानुसार न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अन्तर के कारणो बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अंतर की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करना सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) स्कीम वाईज खाते न खोलने बारेः—

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच—एच.ए (5) सी (15) —(13) (एल) 5—47005—81 दिनांक—15.02.2012 के निर्देशों के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत संघोल के बैंक खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते स्कीम वाईज नहीं खोले गये थे। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वःस्त्रोत, 5वां वित, वी.के.वी.एन.वाई व एस.डी.पी आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध संयुक्त खाता संख्या 20086023949 खोला गया था तथा उक्त खातें के अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वःस्त्रोत, वी.के.वी.एन.वाई व एस.डी.पी आदि शीर्षो के लिये एक अन्य संयुक्त खाता

संख्या 87960100042363 खोला गया था जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है एवं नियमों, निर्देशों के विपरीत होने के कारण आपत्तिजनक है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/571 दिनांकः–23.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–08 दिनांकः–23.11.2024 द्वारा दिया गया उत्तर कि शीर्ष वाईज खातों का अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार स्कीम वाईज खातों का संचालन न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार व समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो अनुसार ही बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ड.) लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना :–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2022–23 व 2023–24 की खाता बही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाता बही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के व्यय वाउचरों से इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं:–

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर सं0/दिनांक	बिल सं0/दिनांक, मस्ट्रोल सं0	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	एस.डी.पी	1/ 16.06.2023	78/15.06. 2023	पक्का रास्ता इंटरलॉक टाईल्स के साथ अनिल कुमार के घर से मेन रोड खालटा वार्ड–1	55800
2	मनरेगा	निल/ 21.06.2023	मस्ट्रोल–1881	निर्माण भूमि समतल खडड पुल के साथ बाडू वार्ड–5	16080
3	मनरेगा	निल/ 21.06.2023	मस्ट्रोल –1885	गाद निकासी अमृत सरोवर संघोल वार्ड–2	24000

4	मनरेगा	निल / 21.05.2022	15 / 21.06. 2023,मस्ट्रोल– 521,522	निर्माण जीपपेवल सड़क गोपाल कृष्ण के घर से नसीव की पशुशाला की ओर टिकरू वार्ड–3	83940
5	मनरेगा	निल / 06.05.2022	16,30 / 04.05. 2022,15.11. 2022,मस्ट्रोल– 309,523,524	निर्माण जीपेवल रोड मेन रोड से मेहता बस्ती की ओर खालटा वार्ड–1	106980

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदानो से प्राप्त की गई आय की भी लेखा खाता / खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी, जोकि अनियमित तथा आपतिजनक है।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 571 दिनांकः–23.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 08 दिनांकः–23.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अवधि की खाता बहियों / लेखा खातों को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबही / लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा वर्तमान अंकेक्षण अवधि की खाताबही / लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही / लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश न करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्टीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के मुख्य निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹4,36,884 से ₹799289.88 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनो की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 571 दिनांकः 23.11.2024 द्वारा

अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या-08 दिनांक 23.11.2024 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा निवेश की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6.1 अनुदान की राशि ₹5.32/– लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/559 दिनांकः–20.11.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2 पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹5,32,296/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1	वी.के.वी.वाई.एन	31.03.2024	35754
2	एस.डी.पी	31.03.2024	77288
3	एम.पी.लेड	31.03.2024	7070
4	14वाँ वित्त	31.03.2024	3100
5	15वाँ वित्त/पी.एस/जेड.पी	31.03.2024	409084
		कुल जोड	**532296**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस शेष राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/562 दिनांक–22.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या–08 दिनांकः–23.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के उचित कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

7 पंचायत राजस्व से प्राप्त आयः–

7.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.65/- लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः--

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/559 दिनांकः–20.11.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर के रूप में **₹64700**/– की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। क्योंकि अवधि 2022–23 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा कोई राशि प्राप्त नहीं की गई थी। सम्पत्तिकर/गृहकर की इतनी अधिक राशि का पंचायत द्वारा बिना पर्याप्त कारणों के वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। परिणामस्वरूप सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत के सम्पत्ति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर को भी तैयार नहीं किया गया, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** में दर्शाए गए दिनांक 01.04.2022 को अथशेष तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान सृजित कुल मांग की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/563 दिनांकः–22.11.2024 द्वारा सूचित किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–23.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्पति कर/गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा सम्पति कर मांग व संग्रहण रजिस्टर को तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की अविलम्ब वसूली करना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में भी इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष नियमित रूप से की जानी

सुनिश्चित की जाए तथा सम्पति कर/गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर को भी तैयार करके कृत अपेक्षित सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹800/- की वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य श्रेणी) व आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल. श्रेणी के लिये ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनों के भीतर ₹400(सामान्य श्रेणी) से व ₹50 आई.आर.डी.पी/बी.पी.एल श्रेणी से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

विवाह पंजीकरण शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण एवं निम्न विवरणानुसार 3 विवाह पंजीकृत किये गये थे, जिस हेतु ₹200/400 की दर से कोई राशि प्राप्त नहीं की गई थी, जबकि उक्त वर्णित दरों के अनुसार ₹800 प्राप्त किये जाने अपेक्षित थे:–

क्र0सं0	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	विवाह शु0 रजि. पृ.स	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	सुमित ठाकुर	10.05.22	23.05.22	76	200	00	200
2	अश्वनी कुमार	31.05.22	24.06.22	76	200	00	200
3	नवीन शर्मा	27.04.22	30.11.22	77	400	00	400
				कुल	800	00	800

उक्त न वसूली गई राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/563 दिनांक:–22.11.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत संघोल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी वसूली रसीद संख्या 275792 द्वारा करके सभा निधि खाता सख्या 20086023949 में दिनांक 27.11.2024 को जमा करवा दी गई है, जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है।

अतः वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु कारगर कदम उठाये जाऐं।

7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई राशि ₹0.02 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे:–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक:– 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित

दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070–60–108–01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/559 दिनांकः–20.11.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना व निम्न तालिका के अनुसार ग्राम पंचायत संघोल द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान ₹2200 की राशि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई ,परन्तु उसे सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

क्र0सं0	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि (₹)
1	2022–23	1400
2	2023–24	800
	कुल	**2200**

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/563 दिनांकः–22.11.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत संघोल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या– 08 दिनांकः–23.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.1 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.98/– लाख के स्टॉक का क्रय करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश, निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित है।

ग्राम पंचायत संघोल के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार ₹98250/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं

को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उक्त व्यय करते समय बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया था।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/566 दिनांकः–23.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–23.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.2 क्रय किये गये सामान राशि ₹9.39/– लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत संघोल के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरो के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट–"6"** पर संकलित राशि ₹9,39,190/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरो में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/567 दिनांकः–23.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–23.11.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया जायेगा।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का पारदर्शी इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 खनन सामग्री बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹4.70/– लाख का अनियमित भुगतान करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व

माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा,परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा इन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/560 दिनांकः–20.11.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "7"** पर संलग्न सूचना व नमूना अंकेक्षण के अनुसार निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹4,69,930/– का अनियमित भुगतान किया गया एवं पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय –समय पर जारी आदेशों व निर्देशों की अवहेलना के चलते अंकेक्षण अवधि में किये गए समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/569 दिनांकः–23.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–23.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त व्यय वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्त किये बिना ही किया गया है व जानकारी के अभाव में किया गया है। वर्तमान समय से इस फॉर्म को प्राप्त करने उपरान्त ही भुगतान किया जा रहा है,प्रस्तुत उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। क्योंकि उक्त पत्र में वर्णित निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X" या "W" प्राप्ति उपरान्त किये जाने थे।

अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमो के विरूद्ध एवं समय–2 पर जारी निर्देशों के विरूद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानो को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अपेक्षित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इन प्रकरणों को संबंधित जिला खनन अधिकारी के समक्ष उठाते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये ।

9.1 पेवर ब्लॉक्स के क्रय हेतु ₹1.37/- लाख का अनियमित भुगतान से संबंधित अनियमितताएः–

1. सचिव (RD&PR) हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या No.PCH-HC(10) FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार राशि ₹136660 के पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि0 प्र0 सरकार के स्वीकृत माध्यम नियंत्रक भंडार के Rate Contract अथवा Gem Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से तीन निविदाये आमंत्रित करके किया गया था तथा न हीं ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र में वर्णित प्रावधान It will be mandatory for the concerned technical authority to give justification of the rates in the estimate.Before placing the supply order or awarding the work to lowest bidder justification of rates may be prepared and got approved from the one step up authority who has accorded Technical sanction. अनुसार निर्माण कार्यों हेतु अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई गई थी, परिणामस्वरूप किया गया भुगतान अनियमित व आपतिजनक है:–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर सं0/ दिनांक	मास	विवरण	मात्रा	राशि (₹)
1	NREGA	33/ 21.05.2022	05/2022	80mm(Paver.Block)from M/s Rakesh Chand Haler Jaisinghpur Bill No 201 dt.-10.12.2021	2400	35760
2	NREGA	34/ 21.05.2022	05/2022	80mm(Paver.Block)from M/s Rakesh Chand Haler Jaisinghpur Bill No 202 dt.-15.12.2021	2400	35760
3	NREGA	35/ 21.05.2022	05/2022	80mm(Paver.Block)from M/s Rakesh Chand Haler Jaisinghpur Bill No 203 dt.-18.12.2021	2700	44280
4	NREGA	42/ 21.05.2022	05/2022	80mm(Paver.Block)from M/s Rakesh Chand Haler Jaisinghpur Bill No 204 dt.-20.12.2021	1400	20860
				Total		136660

2.उपरोक्त पत्रानुसार जारी दिशा–निर्देशो की अनुपालना एवं विशेष आई.एस कोड प्रमाण पत्र की सत्यापना उपरान्त ही उक्त फर्म से पेवर ब्लॉक्स क्रय योग्य थे, जोकि ग्राम पंचायत द्वारा

आपूर्तिकर्ता फर्म से तथा जिन फर्मो से कोटेशन प्राप्त की गई थी,उनकी कोटेशन के साथ संलग्न नहीं थे।

उपरोक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत किये गए क्रय तथा वर्णित पत्रानुसार कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु जारी अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/564 दिनांकः–23.11.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय के पत्र संख्याः–08 दिनांकः–23.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अनियमित व्यय जानकारी के अभाव में किया गया है तथा भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री क्रय की जाएगी। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इन अनियमितताओ बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी व उच्च तकनीकी अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स का क्रय करना सुनिश्चित करें व कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 माप–पुस्तिका में गलत गणना के फलस्वरूप मजदूरी भुगतान हेतु ₹0.16/–लाख का अधिक भुगतान करना :–

मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत निर्माण कार्य वाटर टैंक नजदीक गुगा मदिंर वार्ड 3 की रिकार्ड प्रविष्टियों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 25923 के पृष्ठ संख्या 4, 5 व 6 पर मजदूरी हेतु दर्ज प्रविष्टियों में किये गये कार्य का मूल्यांकन करते समय मदो की राशि का जोड़ गलत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत द्वारा ₹16274/– का अधिक मजदूरी का भुगतान पाया गयाः–

वास्तविक मूल्यांकित राशि (₹)		भुगतान की गई राशि (₹)	अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
Total of all items amout's i.e(1 to 9) Less:-(contractor Profit&O.H=17755X15%=2663) Total after the deduction of C.P Add:- 250%(labuor Enhancement (15092X250%) Actual Payment to be	= 17755 = 2663 15092 = 37730 = **52822**	Muster roll No.- 6360=49496 Muster roll No. - 6382=19600 **69096**	**16274**

उक्त अनियमितता के दृष्टिगत किये गए भुगतान को नियमानुसार वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/570 दिनांकः– 23.

11.2024 के अंतर्गत पंचायत सचिव को सूचित किया गया, जिसकी वसूली रसीद संख्या 275794 द्वारा करके सभा निधि खाता सख्या 20086023949 में दिनांक 03.12.2024 को जमा करवा दी गई है, जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है, किन्तु मनरेगा शीर्ष में जमा की पुष्टि करवाना शेष है।

अतः ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कदम उठाए जायें।

9.3 आमंत्रित निविदाओं में न्यूनतम निविदा दर की तुलना में अधिक दर से ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान करना।

हि॰प्र॰ पँचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान की वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान से निम्नलिखित सामान का क्रय किया गया थाः—

अनुदान	वाउचर स0 /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	अपेक्षित दर से भुगतान ₹	किया गया भुगतान ₹	अधिक भुगतान ₹
1.मनरेगा	13/21. 06.2023	मै0 मनजीत मेहता काथला संघोल	रिवर सेंड	7500 (500@15)	10000 (500@20)	2500

उपरोक्त बिल/वाउचर की आमंत्रित निविदाओं में न्यूनतम निविदा दर से भुगतान न करके अधिक दर से ₹2500/— का अधिक भुगतान किया गया था। अधिक भुगतान का उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/571 दिनांकः— 23.11. के अंतर्गत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसकी वसूली रसीद सख्यां 275793 द्वारा करने उपरान्त, खाता संख्या 20086923949 में दिनांक 27.11. 2024 को जमा करवा दिया गया, जिसकी अंकेक्षण पुष्टि कर ली गई है, किन्तु मनरेगा शीर्ष में जमा की पुष्टि करवाना शेष है।

अतः ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कदम उठाये जाऐं।

10 एस.डी.पी व मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में राशि ₹1.91/– लाख के अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे:–

हि•प्र• पँचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हैं।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित मास 05/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न तालिका के अनुसार ₹1,90,778/–का भुगतान किया गया था, परन्तु उक्त निर्माण कार्यो के सन्दर्भ में अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कियें गए, जिसके अभाव मे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका:–

क्र0सं0 व अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल संख्या/दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान राशि (₹)	अंकेक्षण हेतु वांछित अभिलेख
1.एस.डी.पी	1/16.06.2023	78/15.06.2023	पक्का रास्ता इंटरलॉक टाईल्स के साथ अनिल कुमार के घर से मेन रोड खालटा वार्ड–1	55800	बजट प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, टेंडर अभिलेख, अनुबन्ध, अवार्ड पत्र व माप पुस्तिका
2.मनरेगा	निल/21.06.2023	मस्ट्रोल–1881	निर्माण भूमि समतल खडड पुल के साथ बाडू वार्ड–5	16080	माप पुस्तिका
3.मनरेगा	निल/21.06.2023	मस्ट्रोल–1882	निर्माण भूमि समतल मोक्षधाम खालटा वार्ड–1	8400	प्रस्ताव, माप पुस्तिका
4.मनरेगा	निल/06.06.2023	मस्ट्रोल–1499	निर्माण क्रेट वर्क लिंक रोड शमशान घाट के पास खालटा वार्ड–1	14842	प्रस्ताव, माप पुस्तिका
5.मनरेगा	निल/21.06.2023	मस्ट्रोल–1883	निर्माण पक्का रास्ता होशियार सिंह के घर से बौडी की ओर वार्ड–4	3816	माप पुस्तिका
6.मनरेगा	निल/21.06.2023	मस्ट्रोल–1885	गाद निकासी अमृत सरोवर संघोल वार्ड–3	24000	माप पुस्तिका
7.मनरेगा	निल/21.05.2022	मस्ट्रोल–521,522	निर्माण जीपपेवल सडक गोपाल कृष्ण के घर से नसीव की पशुशाला की ओर टिकरू वार्ड–3	32860	माप पुस्तिका
8.मनरेगा	निल/06.05.2022	मस्ट्रोल–309,523,524	निर्माण जीपपेवल रोड मेन रोड से मेहता बस्ती की ओर खालटा वार्ड–1	34980	माप पुस्तिका
			कुल योग	**190778**	

वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे सचिव ग्राम पंचायत संघोल से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/565 दिनांकः—23.11.2024 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— 08 दिनांक 23.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि माप—पुस्तिकाओं को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुसार व तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः सचिव द्वारा अभिलेखो को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है। जिसका औचित्य उक्त वर्णित नियमानुसार तथ्यो सहित स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही सहित वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थत प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

11. संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹11.60/— लाख का अनियमित भुगतान करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित मास 05/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरो के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹1160170.87/— का भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित व आपतिजनक है तथा उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/571 दिनांकः—23.11.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत संघोल के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—08 दिनांकः—23.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान समय से संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा की भुगतान किया जा रहा है। प्रस्तुत उत्तर उपरोक्त नियमानुसार न होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानो को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

12. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित विसंगतियांः—

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा पैरा संख्या "9.1" व "10" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट

लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1.नियम 104(2)(1) की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

2.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

3.ग्राम पंचायत द्वारा करवाये विभिन्न निर्माण कार्यो के प्रारूप–34 , जिसमें कि कार्य का पूर्ण आय–व्यय ब्यौरा शामिल होता है ,उन्हे भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि किसी व्यक्तिगत कार्य में प्रयुक्त सामग्री व लेबर पर किये गए कुल व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

4.निर्माण सामग्री के आपूर्ती बिलों को ,किसी व्यक्तिगत निमार्ण कार्य के लिये बनाई गई निर्माण समिति के सदस्यो अथवा पंचायत सदस्यो द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया था ,जिसके अभाव में उस सामग्री की वास्तविक प्राप्ति व उपयोग की स्थिति अंकेक्षण में सन्देहास्पद प्रतीत होती है।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/571 दिनांकः– 23.11.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत संघोल को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–23.11.2024 द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण कार्यो से संबंधित पाई गई विभिन्न अनियमितताओं की नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी है तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान करवाये गए निर्माण कार्यों के प्रपत्र–34 को भी तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे पूर्ण तथ्यो सहित उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करना:–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/559 दिनांकः 20.11.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–23.11.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखो का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था

अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिससे कि लेखांकन प्रकिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है , जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप—5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया था।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। अतः समय—समय पर स्टोर/स्टोक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/559 दिनांकः–20.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–23.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं पाया गया।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

15 अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

15.1 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत संघोल द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत संघोल के चयनित मास 05/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि व्यय वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे, जिसके अभाव में उक्त मास में किये गए भुगतानो की पुष्टि अकेंक्षण में नहीं की जा सकी।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/571 दिनांकः–23.11.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–08 दिनांकः–23.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से वाउचरो पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित किये जा रहे हैं। प्रस्तुत प्रत्युतर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नही पाया गया।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15.2 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरो पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2023–24 में मनरेगा के व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे। जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की

अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अँकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 **लघु आपति विवरणिकाः**— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

17 **निष्कर्षः**— लेखों के रख–रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों व अन्य दिशा–निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही थी, जिस कारण से लेखों के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

03 FEB 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

745-749 कां0/50

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)454/2025–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत संधोल, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

03 FEB 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

कां0/50

ANNEXURE -1 (पैरा संख्या – 4.1क)

FINANCIAL POSITION OF GP SANGHOLE FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	219786.00	1628118.88	1847904.88	387829.00	1460075.88
2023-24	1460075.88	422840.00	1882915.88	161598.00	1721317.88

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1281224.88	2099335.87	3380560.75	2299795.75	1080765.00
2023-24	1080765.00	2537331.00	3618096.00	3085800.00	532296.00

हस्ताक्षर Bhauhan

दिनांक............

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत संघोल
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

ANNEXURE -2(पैरा संख्या -"6.1")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP SANGHOLE FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	VKVNY	2022-23	74939.00	52.00	74991.00	55800.00	19191.00
		2023-24	19191.00	116563.00	135754.00	100000.00	35754.00
2	SDP	2022-23	59952.00	0.00	59952.00	0.00	59952.00
		2023-24	59952.00	491166.00	551118.00	473830.00	77288.00
3	MPLAD	2022-23	7019.00	51.00	7070.00	0.00	7070.00
		2023-24	7070.00	0.00	7070.00	0.00	7070.00
5	14TH FC	2022-23	3330.88	181.00	3511.88	411.88	3100.00
		2023-24	3100.00	0.00	3100.00	0.00	3100.00
6	15TH FC/ZP/PS	2022-23	1135984.00	852088.00	1988072.00	996620.00	991452.00
		2023-24	991452.00	272075.00	1263527.00	854443.00	409084.00
7	MGNREGA	2022-23	0.00	1246963.87	1246963.87	1246963.87	0.00
		2023-24	0.00	1657527.00	1657527.00	1657527.00	0.00

Checked

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत संघोल
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

24

हस्ताक्षर. B. Chauhan

दिनांक..........

परिशिष्ट – 3 (पैरा संख्या 4.1 (ख))

कार्यालय ग्राम पंचायत संघोल विकास खण्ड लम्बागांव ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176091

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत संघोल के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष –

क.	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	**बैंक शेष 01.04.22 को**	**बैंक शेष 31.03.24 को**
1	स्वःस्त्रोत / 5वां वित / वी.के.वी.एन.वाई / एस.डी.पी	का•के•सह•बैंक जयसिंहपुर	20086023949	436884	799289.88
2	स्वःस्त्रोत / वी.के.वी.एन.वाई / एस.डी.पी	एच•पी•जी•बैंक संघोल	87960100042363	0	1033899
3	तीसरा	का•के•सह•बैंक जयसिंहपुर	50056010206	1681	0
4	एम.पी.लेड	का•के•सह•बैंक जयसिंहपुर	50056010217	7124	0
5	14वाँ वित्त	का•के•सह•बैंक जयसिंहपुर	50056010182	0.88	0
6	15वाँवित्त / पी.एस / जेड.पी	यूको•बैंक लम्बागांव	10680110036020	1025863.75	350674.75
	हस्तगत शेष(स्वःस्त्रोत ऑनलाईन रोकड.बही के अनुसार)			0	0
			कुल योग	**1471553.63**	**2183863.63**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत संघोल
विकास खण्ड लम्बागांव
कांगड़ा (हि0प्र0)

हस्ताक्षर Bhauhan
दिनांक..........

25

परिशिष्ट -4 (पैरा संख्या -"7.1")

कार्यालय ग्राम पंचायत संघोल विकास खंड लम्बागांव जिला काँगड़ा (हि०प्र०) 176091

दिंनाक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतू शेष सम्पति कर /गृहकर --

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 745 परिवारों का रु. 100/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष तथा 2023-24 में 745 परिवारों का रु. 100/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से –

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2022-23	5000	745	100/-	74500	79500	0	79500
2023-24	79500	745	100/-	74500	154000	89300	64700
	नोट – दिंनाक :- 31.03.2024 को बकाया सम्पति कर /गृहकर की राशि रू. 64700/- है							

हस्ताक्षर Chauhan
दिनांक............

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत संघोल
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

26

परिशिष्ट—5 (पैरा संख्या—"7.3")

कार्यालय ग्राम पंचायत संघोल विकास खण्ड लम्बागांव ,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176091

विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने से राजस्व हानिः—

क.संख्या	अवधि	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि
1	2022—23	1400
2	2023—24	800
	कुल योग	2200

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत संघोल
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

27

परिशिष्ट–"6" (पैरा संख्या–"3.1" व "3.2")

ग्राम पंचायत संघोल विकास खण्ड लम्बागांव, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश ,स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा (घन फुट)	रेट(प्रति घन फुट)	राशि ₹	टिप्पणी
1.NREGA	39/21.05.2022	Sand	09/29.09.2021	M/S Manjeet Mehta Khalta Sanghol	340	36	12240	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			650	32	20800	
2.NREGA	40/21.05.2022	Sand	10/05.10.2021	do	340	36	12240	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			650	32	20800	
3.NREGA	55/21.05.2022	Sand	11/25.03.2022	do	75	36	2700	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			135	32	4320	
4.NREGA	03/21.05.2022	Sand	00042/03.03.2022	M/s Vijay Thakur Chambi Sanghol	545	36	19620	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			1040	32	33280	
5.NREGA	02/21.05.2022	Sand	00043/10.03.2022	do	280	36	10080	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			540	32	17280	
6.MNREGA	33/21.05.2022	Interlock Tiles (80mm)	0201/10.12.2021	M/s Rakesh Chand Haler Jaisinghpur	2400	14.9	35760	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
7.NREGA	34/21.05.2022	Interlock Tiles (80mm)	0202/10.12.2021	M/s Rakesh Chand Haler Jaisinghpur	2400	14.9	35760	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
8.NREGA	35/21.05.2022	Interlock Tiles (80mm)	0203/10.12.2021	M/s Rakesh Chand Haler Jaisinghpur	2700	16.4	44280	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
9.NREGA	36/21.05.2022	Sand	013/25.12.2021	M/S Manjeet Mehta Khalta Sanghol	635	36	22860	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			875	32	28000	
10.NREGA	42/21.05.2022	Interlock Tiles (80mm)	0204/20.12.2021	M/s Rakesh Chand Haler Jaisinghpur	1400	14.9	20860	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
12.NREGA	Nil/21.05.2022	Sand	012/20.11.2021	M/S Manjeet Mehta Khalta Sanghol	980	36	35280	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			1900	32	60800	
13.SF	2/P 1/28.06.2023	Stationary	320/26.06.2023	M/s Parkash Printing Press Jaisinghpur	—	—	3840	निविदाये व स्टॉक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं की गई
14.~~DSP~~ SDP	01/16.06.2023	Cement Bag	78/15.06.2023	H.P Civil Supply Lambagaon	150	372	55800	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
15.NREGA	Nil/27.06.2023	Cement Bag	24/24.04.2023	H.P Civil Supply Lambagaon	130	372	48360	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत संघोल
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

Chauhan

16.NREGA	Nil/27.06.2023	Interlinked Chain 4MM Hot Dip 6 inch Mash	P-64/18.05.2023	M/s H.P Agro Corp.Maranda Palmpur (Including GST)	17	2700	45900	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
17.NREGA	Nil/27.06.2023	Cement Bag	22/22.04.2023	H.P Civil Supply Lambagaon	335	372	124620	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
18.NREGA	Nil/27.06.2023	Cement Bag	23/24.04.2023	do	140	372	52080	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
19.NREGA	Nil/23.06.2023	Sand	35/28.12.22	M/S Manjeet Mehta Khalta Sanghol	100	36	3600	स्टॉक प्रविष्टियां व वोल्डर की निविदा प्रस्तुत नहीं की गई
		Boulder			260	15	3900	
20.NREGA	Nil/23.06.2023	Sand	34/28.12.22	M/S Manjeet Mehta Khalta Sanghol	100	36	3600	स्टॉक प्रविष्टियां व वोल्डर की निविदा प्रस्तुत नहीं की गई
		Boulder			550	15	8250	
21.NREGA	13/21.06.2023	River Sand	005/19.04.2022	M/S Manjeet Mehta Khalta Sanghol	500	20	10000	स्टॉक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.C			600	32	19200	
22.NREGA	15/21.06.2023	Sand .C	15/21.06.2023	M/S Manjeet Mehta Khalta Sanghol	530	36	19080	स्टॉक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.C			1000	32	32000	
23.NREGA	14/23.06.2023	Sand .C	16/04.05.2022	M/S Manjeet Mehta Khalta Sanghol	400	36	14400	स्टॉक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.C			700	32	22400	
24.NREGA	Nil/27.06.2023	Sand .C	030/15.11.2022	M/S Manjeet Mehta Khalta Sanghol	300	36	10800	स्टॉक प्रविष्टियां व सेटिंग की विविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.C			700	32	22400	
		Shuttering			200	10	2000	
						G/Total	939190	

नोट:- 1 क्रम संख्या 4, 5, 13, 19, 20 व 24(3) (2) (3) की निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
2. क्रम संख्या 1 से 24 तक की स्टॉक प्रविष्टियां नहीं की गई।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत संघोल
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Checked

परिशिष्ट – 7 (पैरा संख्या – "8.3")

ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गई खनन निर्माण सामग्री व् व्यय ब्यौरा |

1	NIL 21/06/2023	मनजीत मेहता खाल्टा संघोल	(MANREGA)	005 19-04-2022	रेत क्रेशर बजरी	500 CFT 600 CFT	20/- 32/-	10000/- 19200/-
2	NIL 21/06/2023	मनजीत मेहता खाल्टा संघोल	(MANREGA)	015 04-05-2022	क्रेशर रेत क्रेशर बजरी	530 CFT 1000 CFT	36/- 32/-	19080/- 32000/-
3	NIL 23/06/2023	मनजीत मेहता खाल्टा संघोल	(MANREGA)	016 04-05-2022	क्रेशर रेत क्रेशर बजरी	400 CFT 700 CFT	36/- 32/-	14400/- 22400/-
4	55 21/05/2022	मनजीत मेहता खाल्टा संघोल	(MANREGA)	011 25-03-2022	क्रेशर रेत क्रेशर बजरी	75 CFT 135 CFT	36/- 32/-	2700/- 4320/-
5	39 21/05/2022	मनजीत मेहता खाल्टा संघोल	(MANREGA)	09 29-09-2021	क्रेशर रेत क्रेशर बजरी	340 CFT 650 CFT	36/- 32/-	12240/- 20800/-
6	40 21/05/2022	मनजीत मेहता खाल्टा संघोल	(MANREGA)	10 05-10-2021	क्रेशर रेत क्रेशर बजरी	340 CFT 650 CFT	36/- 32/-	12240/- 20800/-
7	034 23/06/2023	मनजीत मेहता खाल्टा संघोल	(MANREGA)	034 28-12-2022	क्रेशर रेत Bolder stone	100 CFT 550 CFT	36/- 15/-	3600/- 8250/-
8	035 23/06/2023	मनजीत मेहता खाल्टा संघोल	(MANREGA)	035 28-12-2022	क्रेशर रेत Bolder stone	100 CFT 260 CFT	36/- 15/-	3600/- 3900/-

30

हस्ताक्षर Rhauhan

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत संघोल
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

9	030 27-06-2023	मनजीत मेहता खाल्टा संघोल	(MANREGA)	030 15-11-2022	क्रेशर रेत क्रेशर बजरी	300 CFT 700 CFT	36/- 32/-	10800/- 22400/-
10	NIL 21/05/2022	मनजीत मेहता खाल्टा संघोल	(MANREGA)	012 20-11-2021	क्रेशर रेत क्रेशर बजरी	980 CFT 1900 CFT	36/- 32/-	35280/- 60800/-
11	36 21/05/2022	मनजीत मेहता खाल्टा संघोल	(MANREGA)	013 25-12-2021	क्रेशर रेत क्रेशर बजरी	635 CFT 875 CFT	36/- 32/-	22860/- 28000/-
12	02 21/05/2022	विजय ठाकुर चम्बी संघोल	(MANREGA)	0043 10-03-2022	क्रेशर रेत क्रेशर बजरी	280 CFT 540 CFT	36/- 32/-	10080/- 17280/-
13	03 21/05/2022	विजय ठाकुर चम्बी संघोल	(MANREGA)	0042 03-03-2022	क्रेशर रेत क्रेशर बजरी	545 CFT 1040 CFT	36/- 32/-	19620/- 33280/-
					कुल योग			**469930/-**

उपरोक्त खनन निर्माण सामग्री ग्राम पंचायत संघोल द्वारा वैध Tran Pass form “X” or “W” प्राप्त किए बिना क्रय की गई है |

Rhauhan

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत संघोल
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

31